भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-216

उत्तर देने की तारीख-01/12/2025

महाराष्ट्र में एक शिक्षक द्वारा संचालित स्कूल

216. श्रीमती प्रतिभा सुरेश धानोरकर:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के 8,187 स्कूलों में, प्रत्येक स्कूल में एक ही शिक्षक है और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) राज्य के स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या कितनी है और इन पदों को कब तक भरा जाएगा;

(ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत निर्धारित शिक्षक-छात्र अनुपात का अनुपालन न करने वाले स्कूलों के खिलाफ सरकार द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य के आदिवासी और सुदूर क्षेत्रों में एक शिक्षक द्वारा संचालित स्कूलों की जिला -वार संख्या कितनी है और छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता पर इसके प्रभाव के साथ इस संबंध में सरकार द्वारा तैयार की गई सर्वेक्षण रिपोर्ट क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है। विद्यालयों का विनियमन, रखरखाव और पर्यवेक्षण, साथ ही शिक्षकों की सेवा की शर्तें और नियम संबंधित राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती एक सतत प्रक्रिया है और सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र तथा विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि/नए विद्यालयों की स्थापना के कारण रिक्तियाँ उत्पन्न होती रहती हैं। केंद्र सरकार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के साथ शिक्षकों की शीघ्र भर्ती और पुनर्नियोजन के विषय में लगातार प्रयासरत है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र को समय-समय पर उपयुक्त छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) बनाए रखने के लिए परामर्श भी जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, राज्यों/

संघ राज्य क्षेत्र के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं और उन्हें राज्य में यदि कहीं एकल शिक्षक विद्यालय हैं तो उनकी संख्या कम करने की सलाह दी जाती है।

समग्र शिक्षा के तहत, केंद्र सरकार, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र को एकमुश्त इंटरवेनशन-वार निधि जारी करते हैं, मापदण्डों के अनुसार उपयुक्त पीटीआर बनाए रखने के लिए शिक्षकों की भर्ती और नियुक्ति के लिए सहयोग भी इसमें शामिल है। समग्र शिक्षा के तहत प्रदान किए गए हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन हेतु अनुमोदन के आधार पर राज्य और संघ राज्य क्षेत्र जिला, ब्लॉक और सरकारी स्कूलों को आगे धनराशि जारी करते हैं।

*****